न्यायालय राजस्व परिषद, उत्तराखण्ड़, देहरादून।

भू–राजस्व निगरानी संख्या–121 / 2011–12 अन्तर्गत धारा–219 भू–राजस्व अधिनियम

श्री गिरधारी लाल

–बनाम–

श्री विजय दास आदि

उपस्थितिः श्री विनोद चन्द्र रावत, सदस्य(न्यायिक)।

अधिवक्ता निगरानीकर्ता : श्री प्रेमचन्द शर्मा।

बावत

मौजा अदूरवाला, परगना परवादून,
तहसील ऋषिकेश, जनपद देहरादून।

निर्णय

यह निगरानी नायब तहसीलदार, ऋषिकेश द्वारा वाद संख्या–630 / 09 अन्तर्गत धारा–34 भू–राजस्व अधिनियम गिरधारी लाल बनाम बुद्वि दास आदि में पारित निर्णयादेश दिनांक 15–12–2010 के विरूद्व योजित की गई है।

वाद का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रतिउत्तरदातागण विजय दास एवं बुद्विदास से प्राप्त पंजीकृत विक्रय पत्र के आधार पर निगरानीकर्ता गिरधारी लाल द्वारा वादग्रस्त भूमि के नामान्तरण हेतु प्रार्थना पत्र नायब तहसीलदार, ऋषिकेश के समक्ष प्रस्तुत किया गया। प्रस्तुत नामान्तरण प्रार्थना पत्र पर क्षेत्रीय लेखपाल की रिपोर्ट एवं प्रस्तुत आपत्ति के आधार पर नायब तहसीलदार, ऋषिकेश ने अपने निर्णयादेश दिनांक 09–06–2010 से वादग्रस्त भूमि पर निगरानीकर्ता गिरधारी लाल का नाम दर्ज किए जाने के आदेश पारित किए गए। पुनः एक़ व्यक्ति श्री विधिलाल द्वारा अपने अधिवक्ता के माध्यम से प्रार्थना पत्र दिनांक 15–12–2010 नायब तहसीलदार के समक्ष इस आशय का प्रस्तुत किया गया कि प्रश्नगत भूमि पर एक वाद अन्तर्गत धारा–229बी जमींदारी विनाश अधिनियम सहायक कलेक्टर, प्रथम श्रेणी, ऋषिकेश के न्यायालय में विचाराधीन है तथा न्यायालय द्वारा दिनांक 27–09–2010 को वादग्रस्त भूमि में स्थगन आदेश जारी किया गया है जो आज भी प्रभावी है। नायब तहसीलदार ने इस आशय से कि सम्बन्धित व्यक्ति गिरधारी लाल उक्त भूमि को खुर्द–बुर्द कर सकता है ऐसी परिस्थितियों में उक्त दाखिल खारिज वाद निरस्त किया जाना न्यायोचित होगा अपने निर्णयादेश दिनांक 15–12–2010 से पूर्व पारित दाखिल खारिज आदेश दिनांक 09–06–2010 को निरस्त किया गया। नायब तहसीलदार, ऋषिकेश द्वारा पारित निर्णयादेश दिनांक 15–12–2010 से क्षुब्ध होकर यह निगरानी इस न्यायालय में योजित की गई है।

अधिवक्ता निगरानीकर्ता का तर्क है कि उन्होंने प्रश्नगत भूमि विक्रय पत्र के माध्यम से प्रउित्तरदातागण से क्रय की थी और प्राप्त पंजीकृत विक्रय पत्र के आधार पर नामान्तरण हेतु प्रार्थना पत्र नायब तहसीलदार, ऋषिकेश के समक्ष प्रस्तुत किया गया था। नामान्तरण प्रार्थना पत्र नायब तहसीलदार द्वारा अपने निर्णयादेश से दिनांक 09–06–2010 को स्वीकार किया गया जिसके आधार पर खतौनी फसली वर्ष 1417–1422 में निगरानीकर्ता का नाम दर्ज हो गया। नायब तहसीलदार को कोई वैधानिक अधिकार अथवा क्षेत्राधिकार उक्त नामान्तरण आदेश को पुनर्जीवित किये जाने अथवा परिवर्तित किये जाने का नहीं था।

अधीनस्थ न्यायालय ने क्षेत्राधिकार के बाहर जाकर बिना कोई धारा–201 भू–राजस्व अधिनियम के पुनर्जीवित प्रार्थना पत्र प्रस्तु किये ही पूर्व पारित दाखिज खारिज आदेश को एकतरफा बिना सुनवाई का अवसर प्रदान किये ही निरस्त कर दिया गया। अवर न्यायालय को अपने आदेश को पुनर्विलोकित किए जाने का कोई क्षेत्राधिकार प्राप्त नहीं था। निगरानीकर्ता को बिना कोई नोटिस प्रेषित किये अथवा सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना ही नामान्तरण आदेश को निरस्त कर दिया गया जो वैधानिक रूप से त्रुटिपूर्ण है और निरस्त होने योग्य है।

इस निगरानी में एक अन्य प्रार्थना पत्र श्री विधिलाल आदि की ओर से धारा 151 आदेश–1 नियम–1 सिविल प्रकिया संहिता का दिनांक 08–06–2012 को निगरानी में पक्षकार बनाये जाने हेतु अपने अधिवक्ता श्री जे0एल0 सुमन के माध्यम से प्रस्तुत किया गया। विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क दिया गया कि विकेतागण बुद्विदास एवं विधिलाल के मध्य एक वाद अन्तर्गत धारा–229बी जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम सहायक कलेक्टर, प्रथम श्रेणी, ऋषिकेश के समक्ष विचाराधीन था जिसके फलस्वरूप प्रार्थीगण द्वारा उपरोक्त दाखिल खारिज वाद में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया जिसके फलस्वरूप नायब तहसीलदार द्वारा नामान्तरण आदेश दिनांक 09–06–2010 को निरस्त किया गया। प्रार्थीगण का वादग्रस्त भूमि पर हित निहित है अतः उन्हें इस निगरानी में पक्षकार बनाया जाय।

विद्वान अधिवक्तागण को सुना गया एवं अवर न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखों का सम्यक अध्ययन किया गया। इस प्रकरण में यह स्पष्ट है कि निगरानीकर्ता ने प्रतिउत्तरदातागण से पंजीकृत विक्रय पत्र के माध्यम से प्रश्नगत भूमि क्रय की थी जिसके उपरान्त उनके द्वारा वादग्रस्त भूमि पर नामान्तरण हेतु प्रार्थना पत्र नायब तहसीलदार के समक्ष प्रस्तुत किया गया और नायब तहसीलदार ने अपने निर्णयादेश दिनांक 09–06–2010 से निगरानीकर्ता का नामान्तरण प्रार्थना पत्र स्वीकार किया गया। नामान्तरण प्रार्थना पत्र स्वीकार होने के उपरान्त श्री विधिलाल आदि ने नायब तहसीलदार के समक्ष दिनांक 15–12–2010 को इस आशय का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया कि वादग्रस्त भूमि के सम्बन्ध में एक वाद सहायक कलेक्टर, प्रथम श्रेणी, ऋषिकेश के समक्ष विचाराधीन है और वादग्रस्त भूमि पर प्रार्थीगण का कब्जा है अतः पूर्व पारित दाखिल खारिज आदेश दिनांक 09–06–2010 को निरस्त किया जाय। नायब तहसीलदार ने एकपक्षीय रूप से निगरानीकर्ता जिनके पक्ष में नामान्तरण आदेश दिनांक 09–06–2010 पारित किया गया था को बिना सुनवाई का अवसर प्रदान किए ही अपने निर्णयादेश दिनांक 12–06–2010 से निरस्त कर दिया। यह भी स्पष्ट है कि नामान्तरण आदेश में नायब तहसीलदार के समक्ष धारा–201 भू–राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत कोई पुनर्स्थापन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया था मात्र इस आधार पर कि वादग्रस्त भूमि के सम्बन्ध में सहायक कलेक्टर के समक्ष धारा–229बी जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम के अन्तर्गत वाद विचाराधीन है निगरानीकर्ता के पक्ष में पारित नामान्तरण आदेश दिनांक 09–06–2010 को निरस्त कर दिया गया जो विधिक रूप से त्रुटियुक्त है। नायब तहसीलदार द्वारा नामान्तरण आदेश पारित करने से पूर्व इस तथ्य पर भी कोई ध्यान नहीं दिया गया कि नामान्तरण वाद में कोई पुनर्स्थापन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। नायब तहसीलदार को आक्षेपित आदेश दिनांक 12–06–2010 पारित करने से पूर्व निगरानीकर्ता को नोटिस प्रेषित करते हुए सुनवाई का अवसर प्रदान किया जाना चाहिए था जो नहीं किया गया और एकपक्षीय रूप से प्रार्थीगण विधिलाल आदि द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांक 15–12–2010 स्वीकार करते हुए नामान्तरण आदेश को निरस्त किया गया जो प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्त के अनुरूप नहीं है। नायब तहसीलदार को प्रार्थीगण विधिलाल आदि द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर निगरानीकर्ता

जिनके पक्ष में नामान्तरण आदेश पारित हुआ है को भी सुनवाई का अवसर प्रदान किया जाना चाहिए था।

अतः उपरोक्त विवेचना के आलोक में मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि नायब तहसीलदार, ऋषिकेश द्वारा पारित आदेश दिनांक 15–12–2010 विधिक रूप से त्रुटियुक्त है एवं निरस्त होने योग्य है।

जहाँ तक प्रार्थीगण श्री विधि लाल आदि द्वारा निगरानी में पक्षकार बनाये जाने का प्रश्न है तो वे इस सम्बन्ध में अवर न्यायालय में चाराजोही हेतु स्वतन्त्र हैं।

आदेश

अतः निगरानी स्वीकार की जाती है एवं नायब तहसीलदार, ऋषिकेश द्वारा पारित आदेश दिनांक 15–12–2010 निरस्त किया जाता है एवं प्रकरण इस आशय से नायब तहसीलदार को प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे प्रार्थना पत्र दिनांक 15–12–2010 पर निगरानीकर्ता एवं प्रार्थीगण श्री विधि लाल आदि को भी सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए प्रार्थना पत्र दिनांक 15–12–2010 का गुणदोष के आधार पर विधिसम्मत निस्तारण करें। अवर न्यायालय की पत्रावली वापस हो तथा इस न्यायालय की पत्रावली संचित हों

(विनोद चन्द्र रावत)
सदस्य(न्यायिक)।

आज दिनांक 20/3/15 को खुले न्यायालय में उद्घोषित, हस्ताक्षरित एवं दिनांकित।

(विनोद चन्द्र रावत)
सदस्य(न्यायिक)।